प्रकरण संख्या 10/2020 अनवान परमेश्वरी देवी बनाम हंसराज आदि अ0धा0 212 आरटीएक्ट

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़
पीठासीन अधिकारी - श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

अनवान -

01- परमेश्वरी पत्नी गोविन्दराम जाति मेघवाल निवासी 13 जी.एम. ढाणि तहसील श्रीविजयनगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान

.........प्रार्थीया......

बनाम-

01- हंसराज पुत्र श्री गोविन्दराम जाति मेघवाल निवासी 13 जी.एम. ढाणि तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान

02- ज्ञानचन्द पुत्र श्री गोविन्दराम जाति मेघवाल निवासी 13 जी.एम. ढाणि तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान

03- गुड्डी पुत्री गोविन्दराम पत्नी संतराम जाति मेघवाल निवासी 10 टी.के. तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान

04- विमला पुत्री गोविन्दराम पत्नी मांगीलाल जाति मेघवाल निवासी रैडवग्गी तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान

05- रोशनी पुत्री गोविन्दराम पत्नी मांगीलाल जाति मेघवाल निवासी 26जीबी हरीपुरा तहसील श्रीविजयनगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान

06- सरोज पुत्री गोविन्दराम पत्नी मंगतूराम जाति मेघवाल निवासी 13जी. एम. ढाणि तहसील श्रीविजयनगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान

07- राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर ।

.........अप्रार्थीगण.........

उपस्थिति- 01- श्री गुरविन्द्र सिंह क्वात्रा, वकील प्रार्थीगण

02- पैराकार राज, तहसीलदार श्री विजयनगर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

राजस्व प्रकरण संख्या - 10/2020 निर्णय दिनांक - 20/12/24

(जी.सी.एम.एस.-2020/00025)

उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

::-निर्णय ::-

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि -

यह कि प्रार्थी के द्वारा अनवानी वाद पत्र अ.धा. 88,53, 188,92ए, 209आर.टी.ए.माननीय न्यायालय में पेश किया है जिसमें वादी के सफल होने की पूरी पूरी आशा व आधार है इस प्रार्थना पत्र को वाद पत्र का अभिन्न अंग माना जाकर साथ में पढा जावे ।

प्रार्थीया के पति गोविन्द वाके चक 13 जी.एम. तहसील श्रीविजयनगर का मु.न. 34 प.न. 161/40 का कि.न. 4[illegible] ता 17, 22 ता 25 कर 3.036 है0 भूमि कमाण्ड खातेदारी [illegible] कि उपरोक्त गोविन्द का देहान्त हो चुका है जो कि उनके देहान्त उपरांत उपरोक्त भूमि प्रार्थीया एंव अप्रार्थीगण के नाम से विरासत में दर्ज हुई है। यहां यह बताना उचित समझती है कि उपरोक्त पैरा सं. 2 में वर्णित भूमि प्रार्थीया एंव अप्रार्थीगण द्वारा संयुक्त हिन्दू परिवार में

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.03.24 09:57:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रहते हुए अर्जित होने से संयुक्त हिन्दू परिवार की समत्ति होने से उपरोक्त भूमि का बाहमी बंटवारा आपसी सहमति से गोविन्दराम के द्वारा अपने जीवनकाल में ही काफी अर्सा पूर्व ही कर दिया गया था जिसमें अप्रार्थीगण सं. 3 ता 6 के द्वारा उक्त संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति में अपना हक न लेकर अपना हक प्रार्थीया एंव अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पक्ष में मौखिक रूप से त्याग कर दिया जाने के कारण से उक्त भूमि को गोविन्दराम व प्रार्थीया को एक ईकाई के रूप में मानते हुए एंव हंसराज व ज्ञानचन्द को पृथक पृथक इकाई मानते हुए प्रार्थीया एंव अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के मध्य बराबर बराबर 4-4 बीघा में विभाजित कर दी। जो कि प्रार्थीया एंव अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 बाहमी बंटवारा अनुसार 4-4 बीघा भूमि पर काबिज होकर काश्त करने लगे । प्रार्थीया के पति गोविन्दराम का देहान्त अर्सा करीब 4 वर्ष पूर्व हो गया जिस पर प्रार्थीया अपने हिस्सा की भूमि 4.00 बीघा को ठेका पर देकर काश्त करवाने लगी जो कि वर्तमान में भी प्रार्थीया के द्वारा अपने हिस्सा की 4.00 बीघा भूमि को मदन धायल को ठेके पर दी हुई जो कि बतौर ठेकेदार काश्त कर रहा है । प्रार्थीया के पति गोविन्दराम का देहान्त हो जाने पर प्रार्थीया के द्वारा अप्रार्थीगण से मिलकर बाहमी बंटवारानुसार उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कहा जाता रहा। जिस पर अप्रार्थीगण के द्वारा आश्वासन दिया जाता रहा कि जल्द ही समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर बाहमी बंटवारा अनुसार दर्ज करवा लेगे व कहा कि इसके लिए पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र व अन्य अनेक औपचारिकताए होती है जिन्हे पूरा करने में समय लगेगा। प्रार्थीया एक अनपढ़ औरत है व अप्रार्थीगण से प्रार्थीया के माता-सन्तान का रिश्ता होने से उनकी बातो पर विश्वास करती रही व समय व्यतित होता रहा किन्तु अब ठेकेदार मदन धायल के द्वारा उसे ठेके पर दी गई भूमि की फसल को विक्रय करने हेतु गिरदावरी की मांग की तो आज से अर्सा करीब 10 रोज पूर्व प्रार्थीया ने गिरदावरी प्राप्त करने के लिए पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का ने बताया कि उक्त 12.00 बीघा भूमि में कि.न. 22 ता 25 का 4.00 बीघा भूमि को अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा अपने नाम से दर्ज करवा लिया है एंव शेष 8.00 बीघा जो कि प्रार्थीया एंव अप्रार्थी सं. 2 को बंटवारा में प्राप्त है को प्रार्थीया एंव अप्रार्थी सं. 2 के नाम से दर्ज न करवाकर प्रार्थीया एंव अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 के नाम से दर्ज करवा लिया है। जवकि बाहमी बंटवारा में प्रार्थीया एंव अप्रार्थीगण सं. 1 वा 2 को 4-4 बीघा भूमि प्राप्त है व प्रार्थीया के पति गोविन्द के द्वारा अपने जीवनकाल में स्वेच्छा से कभी भी कोई भी हिस्सा किसी भी व्यक्ति के नाम से दर्ज नहीं करवाया गया है किन्तु पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर पता चला कि अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा प्रार्थीया के पति गोविन्दराम के देहान्त से कुछ रोज पूर्व जब वे अत्याधिक बिमार थे एंव अचेत अवस्था में थे तब दवा दिलवाने के बहाने श्रीविजयनगर लाकर कि.न. 22 ता 25 का 4.00 बीघा भूमि का एक दान पत्र उन्हे बि[illegible] स्वतत्र इच्छा के धोखा में रखकर [illegible] करवा लिया एंव फिर शेष व उनकी अचेत लाभ उठाकर अपने [illegible] सं. 2 के हिस्सा की थी को भी रही 8.00 बीघा भूमि [illegible] प्रार्थीया को धोखा में रखकर प्रार्थीया एंव [illegible]र्थीगण सं. 1 ता 6 सभी के नाम से दर्ज करवा ली है व अब उक्त 8.00 बीघा भूमि सभी के नाम से दर्ज होने का नाजायज लाभ उठाते हुए प्रार्थीया के कब्जा काश्त की भूमि जो कि वर्तमान में

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.03.24 09:57:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मदन धायल के पास ठेके पर है में मदाखलत पैदा करनी प्रारम्भ कर दी है उक्त बात की जानकारी प्रार्थीया को होने पर प्रार्थीया ने दिनांक 15.05.2020 को मौतबीरान व्यक्तियों की उपस्थिति में पंचायत कर अप्रार्थीगण से सम्पर्क कर उन्हे बाहमी बंटवारा अनुसार प्रार्थीया एंव अप्रार्थी सं. 2 के नाम से 4-4 बीघा भूमि को दर्ज करवाने बाबत कहा तो अप्रार्थी सं. 1 ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया व ऐलानिया धमकी दी कि उसने 4.00 बीघा भूमि गोविन्दराम को धोखा में रखकर जरीये दान पत्र अपने नाम से दर्ज करवा ली है एंव शेष 8.00 बीघा में भी अपना हिस्सा दर्ज करवा लिया है जिसकी आड में अब वह जबरन प्रार्थीया के कब्जा काश्त की भूमि पर जबरन बलपूर्वक काबिज होकर प्रार्थीया को प्रार्थीया के कब्जा काश्त में शांतिपूर्वक चली आ रही भूमि से महरूम एंव बेदखल जबरन कर देगा अथवा उक्त भूमि में अपना हिस्सा को अन्य किसी व्यक्ति को रहन, विक्रय या अन्य प्रकार से अवस्था का नाजायज अर्थ

प्रार्थीया को प्रार्थीया के कब्जा काश्त में शांतिपूर्वक चली आ रही भूमि से महरूम एंव बेदखल जबरन कर देगा अथवा उक्त भूमि में अपना हिस्सा को अन्य किसी व्यक्ति को रहन, विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित कर जबरन प्रार्थीया के कब्जा काश्त की भूमि पर काविज कर प्रार्थीया को कब्जा काश्त की भूमि से महरूम एंव बेदखल कर देगा बस यही तारीख बिनाए मुखास्मत वाद कारण है । यदि अप्रार्थीगण अपने उपरोक्त विधि विरूद्ध कृत्यो में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीया को बाहमी बंटवारा में प्राप्त शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में चली आ रही भूमि से महरूम एंव बेंदखल जबरन होना पडेगा जिससे प्रार्थीया के पास अपनी वृद्धावस्था अपनी आय का कोई साधन नहीं रह जावेगा जिससे प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी एंव पक्षकारान के मध्य विवाद बढेगा, मुकदमा बाजी बढेगी, काश्त में भारी असुविधा होगी जबकि अप्रार्थी को वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाने पर उसके हितो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा इसलिए प्रथम-दृष्ट्या प्रकरण भी प्रार्थी के पक्ष में है । प्रथम -दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति तीनो ही महत्वपूर्ण बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में है । प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है एंव पूर्ण कोर्ट फीस पर तहरीर होकर पेश है ।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि अप्रार्थीगण को वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि चक 13 जीएम तहसील श्रीविजयनगर का मु.न. 34 प.न. 161/40 कि.न. 4 ता 7, 14 ता 17, 22 ता 25 का 12.00 बीघा भूमि या उसके किसी भाग को किसी अन्य को रहन, विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित करने व प्रार्थीया के कब्ज काश्त की भूमि स्वंय या अपने हित प्रतिनिधि के माध्यम किसी प्रकार मदाखलत करने या कोई बाधा पैदा करने जिससे प्रार्थीया के काश्त में परेशानी हो ऐसा कोई कार्य करने से बाज एंव ममनू रहे। व मौका एंव रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 बाद विधिवत तामिल नोटिस उपस्थित नही

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.03.24 09:57:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। राज पेरोकार द्वारा अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

मेरे द्वारा बहस सुनी गई और पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो व कानूनी प्रावधानों पर मनन किया गया और निष्कर्ष रूप में पाया कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 का नाम होने के कारण उनके द्वारा खुर्द बुर्द करने पर अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण की न होकर प्रार्थीया को होगी। ना पूरा होने वाला नुकसान भी प्रार्थीया को होगा। तथा अनावश्यक मुकदमे बाजी बढेगी, सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है। अगर प्रार्थीया अपने दावा को सिद्ध करने में असफल रहती है तो अप्रार्थीगण उक्त भूमि बेचान, रहन रखने में स्वतन्त्र होगे। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 को वर्जित किया जाता है कि चक 13 जी.एम. तहसील श्रीविजयनगर का मु.न. 34 प.न. 161/40 का कि.न. 4 ता 7, 14 ता 17, 22 ता 25 कर 3.036 है0 भूमि कमाण्ड खातेदारी भूमि की रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति मूल वाद के निर्णय तक बनाये रखेगे। तहसीलदार श्री विजयनगर को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आदिनांक ..20/12/24...को लिखवाया जाकर खुले न्यायायल में सुनाया गया।

शंकुतला
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.03.24 09:57:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner